# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1312/14–1 दिनांक, एटा, जनवरी, 13–,2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः **एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) कि0मी0 3.1325 की दॉयी पटरी पर ग्राम– निधौली खुर्द के खसरा संख्या– 999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0: 8बी/06/32/2016 एफ.सी./358 दिनांक 01.11.2016 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 1274/14–1 दिनांक 22.11.2016

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित द्वारा, पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में संलग्नक प्रमाण पत्रों में संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार पुनः प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः–

| क्र0 सं0 | भारत सरकार की आपत्ति का विवरण | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रकरण से सम्बन्धित भूसंदर्भित मानचित्र की kml file की सी0डी0 खुल नहीं रही है, अतः स्पष्ट एवं सही सी0डी0 प्रस्तुत की जाये। | प्रकरण से सम्बन्धित भूसंदर्भित मानचित्र की kml file की सही सी0डी0, जो खुल रही है, संलग्न है। |
| 2 | प्रस्ताव के क्षेत्रफल में संशोधन भी हुआ है पूर्व क्षेत्रफल 0.0768 हे0 के स्थान पर 0.0794 हे0 संशोधित हुआ है किन्तु प्रकरण में संलग्न सभी प्रमाण पत्र संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, अतः प्रकरण से सम्बन्धित प्रमाण इत्यादि संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत करें। | प्रकरण से सम्बन्धित पार्ट–1, पार्ट–2, साइट स्पेक्शन रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, FRA– 2006, प्रमाण पत्र, एन0पी0वी0 भुगतान की वचनवद्वता, मानक शर्ते, भारत सरकार के पत्रांक 11/268/2014–एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 की अनुपालन आख्या, मक मैंनेजमेंट प्लान, वन स्वरूप क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक प्राक्कलन आदि के दस्तावेजों में संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार 0.0794 हे0 अंकित कर संलग्न किये जा रहे हैं। |
| 3 | प्रकरण के ऑन लाइन विवरण (Online Version) में भी संलग्न प्रमाण पत्र/ दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार Update नहीं किये गये हैं, जिसे Update किया जाये। | प्रकरण के ऑन लाइन विवरण में (Online Version) में संलग्न किये जा रहे प्रमाण पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार Update कर दिये गये हैं। |

अतः उक्त संशोधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज 4 प्रतियां में सी0डी0 सहित संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोचित।

भवदीय,

(सुरीत कुमार सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

Manoj/Draftman file:-RIMANDAR -2 Draft M P- 841

पत्रांक 1312/14–1समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रभागीय प्रबन्धक, यू0पी0(वेस्ट), एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोयडा, उ0प्र0।

(सुरीत कुमार सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

O/C

Manoj/Draftman file:-RIMANDAR -2 Draft M P- 842